फर्द अहकाम

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

बहादुर सिंह — बनाम — हनुमान सिंह वगै

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद — मुकदमा नं.– 293/2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
29.12.16	यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणो के विरूद्ध अधीन धारा 53,88,188, राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.02.2017 को पेश हो। [signature] (एस.डी.एम.) ... (नागौर)	
10.2.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 से 04 की ऑर से वकील राधाकिशन चौधरी ने वकालतनामा व जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया शामिल पत्रावली हो। पीठासीन अधिकारी मी सिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 27.2.17 को प्रस्तुत करें। [initials]	मान [illegible] सिंह
27/2/17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी की सिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर ... है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष ... 15/3/17 को प्रस्तुत करें। [initials]	
15/3/17	पक्षकारान उपस्थित प्रतिवादी सं. 01 से 04 की ऑर से पूर्व तारीख 10.2.17 जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ प्रति वकील वादी को दी गई। पत्रावली काउन्टर क्लेम के जवाब हेतु दि. 3.4.17 को पेश हो। [signature]	
3.4.17	पक्षकारान उपस्थित वकील वादी ने निवेदन किया कि काउन्टर क्लेम का जवाब आईन्दा पेश करना चाहते हैं। पत्रावली काउन्टर क्लेम के जवाब हेतु दि. 1.5.17 को पेश हो। [signature]	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
21-9-17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 20/12/17 को प्रस्तुत करें। e
20.12.17	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 15-1-18 को प्रस्तुत करें। e
15.1.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 26.2.18 को प्रस्तुत करें। e
26.2.18	पक्षकाय उपस्थित वकुल वादी काउन्टर क्लेम का जवाब पेश करे। पत्रावली प्रतिवादी सं. 05 से 09 की तलबी व काउन्टर क्लेम के जवाब हेतु दिनांक 05.03.18 को पेश हो।
05.03.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14-3-18 को प्रस्तुत करें। e
14.3.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4.4.18 को प्रस्तुत करें। e
4.4.18	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 2.5.18 को प्रस्तुत करें। e

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

न्यायालय...

....बनाम...

प्रकरण की किस्म...

प्रकरण की संख्या...वर्ष.................

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
29-10-18	पत्रावली न्याय आय से रात रिमिट 2018 के पश्चात पेश हुई। P.O. को, जवाब कार्य के देखते है पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.2.19 को प्रस्तुत करें। e	
22.2.19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 3.6.19 को प्रस्तुत करें।	
3.6.19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14-8-19 को प्रस्तुत करें।	
14.8.19	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी नी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 09.10.19 को प्रस्तुत करें।	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालन संक्षिप्त
9.10.19	वकलाम उभय, वकील वादी ने जवाबदावा व तलबी प्रति० ऽ ह्दे 9 हेतु समय चाहा जो दिया गया है। पत्रावली दिनांक 9.12.19 को पेश हो।	
9.12.19	अधिकारी/पक्षकारगण के आधिवक्ता ... पीठासीन ... अवकाश पर ... उनके समक्ष दिनांक 17.1.20 को ...	
17.1.20	वकलाम उभय वकील प्रतिवादी ने एक प्रार्थना आदेश - 07 नियम - 11 CPC पेश किया जिसकी नकल वकील वादी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना दिनांक: 20/3/20 को पेश हो।	
Hotel next date 20.3.20		
07 R11 CPC ... 20.3.20 ... 17.1.20	20/3/20	

e 2.5.18 ......को

FORM NO. 3

फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट)

(नियम 28)

....

....बनाम........................

म...

ा...वर्ष..........

	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
/6/22	वकील उप। प्रा.पत्र 07/R11 CPC पर अधिवक्ताओं की बहस अंतिम सुनी गई। फैसल करते आदेश दिनांक 27/6/22 को पेश हो। AGW सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) [illegible]
6/22	पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकैन उप। प्रार्थना-पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन किया गया। वकील प्रति वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 88 के तहत वादी को वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। वादी का कब्जा-काश्त सम्वत् 2012 में काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिनों नहीं होने खातेदारी नहीं दी जा सकती है। काश्तकारी अधिनियम में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी देने का प्रावधान नहीं है। वाद कारण नहीं होने वाद-पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहकर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया। AGW 27/6/202

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
	विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से कब्जा नहीं रहा है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकी। इस पर बहस न्यायिक दृष्टांत S.B. civil writ No HC 10723/2015 नि दि 27/1/2017, अनुदान मतसुर बनाम राजस्थान स्टेट, मु.स. 7499/2001 अनुदान मंगल बनाम रामजीलाल नि. दि. 18/10/2016 राजस्व मण्डल अजमेर से पारित आदेश और कराया।
	वकील वादी ने कथन किया कि जमाबंदी में गलती से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। गिरदावरी में वादीगण का कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं होने से वाद उत्पन्न होने पर वाद पेश किया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र O7 R11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।
	पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।
	गिरदावरी वर्ष 2010 - 2013, 2014 - 2015 में खातेदार खुद काश्त दर्ज है जिससे वकील प्रतिवादी की ओर प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण हस्तगत प्रकरण मे पूर्ण तथा लागू होते है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।
	अतः वकील प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र O7 R11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है वादी का वाद खारिज किया जाता है। मिसल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	Sd/- 27/6/2022